अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण विनियम, 2026

2026 का ....

भारत गणराज्य के उनासीवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ।

संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में   मत्स्यहरण के संधारणीय विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक विनियम।

संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदया उनके द्वारा बनाए गए विनियम को एतद्द्वारा प्रख्यापित करते हैं ।

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ;

1. (1) **इस विनियम को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण विनियम , 2026 कहा जाएगा ।**

(2) यह विनियम सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में लागू होंगे।

(3) "यह विनियम उस तिथि से प्रवृत्त होंगे जैसा कि प्रशासक द्वारा अधिसूचना के माध्यम से राजपत्र में नियत करेगा और इस विनियम के अलग-अलग प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियाँ नियत की जा सकती हैं और इस विनियम के किसी भी प्रावधान में उस प्रावधान के लागू होने की जो नियत तिथि का उल्लेख होगा, उस नियत तिथि को उस विशेष प्रावधान के लागू होने की तिथि माना जाएगा।"

परिभाषाएँ

2. **इस विनियम में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो -**

a. **"न्यायनिर्णयन अधिकारी"** से तात्पर्य प्रशासक द्वारा धारा 15 की उपधारा (2) के तहत अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से है;

b. **"प्रशासन"** से तात्पर्य संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन से है ;

(c) **"प्रशासक"** से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का प्रशासक से है ;

(d) **"अपील प्राधिकरी "** से तात्पर्य प्रशासक द्वारा धारा 17 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

(e) **"प्राधिकृत अधिकारी"** से तात्पर्य प्रशासक द्वारा धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा नियुक्त अधिकारी से है;

(f) **"मछली"** में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सम्मिलित प्रजातियों को छोड़कर, अन्य सभी जीवित या मृत जलीय वनस्पतियां एवं जीव-जंतु सम्मिलित हैं;

(g) **"मत्स्य विभाग"** से तात्पर्य संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मत्स्य विभाग से है;

(h) **"मत्स्य अधिकारी"** से तात्पर्य मत्स्य विभाग के सहायक मत्स्य रक्षक रैंक के अधिकारी से लेकर सहायक मात्स्यिकी विकास अधिकारी रैंक के अधिकारी या प्रशासन अथवा केन्द्र सरकार का कोई अन्य अधिकारी, जिसे प्रशासक ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया हो, से है ;

(i) **"मत्स्यहरण"** से तात्पर्य मनोरंजन एवं स्पोर्ट्स फिशिंग सहित मछलियों की खोज, उनका पीछा करना, पकड़ना या हरण या किसी भी विधि से मत्स्य पालन या संवर्धन करना है ;

(j) **"मत्स्यहरण उपकरण"** से तात्पर्य मत्स्यहरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जाल, हुक एवं डोरियाँ (लाइनस्), पिंजरे, जाल, हारपून आदि शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई विस्फोटक, जहर एवं रसायन या सामूहिक विनाश का कोई अन्य उपकरण शामिल नहीं होंगे ;

(k) " **मत्स्यहरण जलयान"** से तात्पर्य ऐसे जलयान या नाव से है, जिसमें यांत्रिक प्रणोदन(प्रोपल्सन) उपकरण लगे हों या नहीं, जो समुद्री मत्स्यहरण या संबद्ध गतिविधियों में लगे हों और इसमें लकड़ी या फाइबर रीइंफोरस्ड प्लास्टिक के केनोस्, डिंगी, नौकायन पोत, कैटामरैन, देशी जलयान एवं इसी प्रकार के अन्य जलयान शामिल होंगे।

(l) **"पत्तन" से** तात्पर्य पत्तन, मत्स्यहरण बंदरगाह, घाट, पियर, गोदी/डॉक, जेट्टी तथा मत्स्य अवतरण केंद्र जैसे स्थानों से है, जहां पर मत्स्यहरण जलयानों के लिए लैंडिंग या बर्थिंग की सुविधा प्रदान की गई है और इसमें मरम्मत यार्ड, ईंधन एवं बर्फ आपूर्ति अवसंरचनाएं , नीलामी भवन एवं मछली प्रसंस्करण प्लांट जैसी सुविधाओं के

लिए निर्धारित आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं तथा उस सीमा तक का क्षेत्र जैसा कि प्रशासक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो ;

(m) **"निर्धारित"** से तात्पर्य इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमावली द्वारा निर्धारित से है ;

(n) **"पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान "** से तात्पर्य **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम,1958** या **विनियम की धारा 6 के तहत** पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान से है ;

(o) **"विनिर्दिष्ट क्षेत्र"** से तात्पर्य संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर के समुद्र, भू –क्षेत्र, आंतरिक जलक्षेत्र एवं लैगून के ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से है, लेकिन इसका विस्तार प्रादेशिक जलक्षेत्र से आगे का नहीं होगा, जैसा कि प्रशासक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ;

(p) **"मत्स्य एग्रीगेटिंग उपकरण "** से तात्पर्य मानव निर्मित बहती या लंगर डाले हुए बोया या बेड़ा/रफ्ट या बोट या कोई अन्य वस्तु जिसमें चाहे लाइट लगी हो या नहीं लगी हो, ताकि मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों को आकर्षित एवं समेकित कर सकें ;

(q) **"मात्स्यिकी"** से तात्पर्य मत्स्यहरण एवं मत्स्यहरण से संबंधित गतिविधियों से है और इसमें **मत्स्य पालन, दोहन, संरक्षण, अनुसंधान, मनोरंजन एवं इसका प्रबंधन सम्मिलित है** ;

(r) **" मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियां"** इसके अंतर्गत मत्स्य-पालन, संग्रहण, अवतरण (लैंडिंग), पैकेजिंग, विपणन, प्रसंस्करण, संरक्षण, या जीवित मछलियों का परिवहन, मछलियों का ट्रांसशिपिंग या परिवहन, जिसे पूर्व में पत्तन पर अवतरित नहीं किया गया हो, **अस्थायी ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म की संस्थापना एवं संचालन,** और प्रशासक द्वारा निर्धारित ऐसे सभी अन्य मात्स्यिकी गतिविधियाँ शामिल होंगे ;

(s) **"मास्टर"** से तात्पर्य कोई व्यक्ति, जिसे किसी भी पदनाम से जाना जाए, जिसके पास मत्स्यहरण जलयान की कमान या प्रभार निहित हो;

(t) " **मालिक"** मत्स्यहरण जलयान के संबंध में मालिक से तात्पर्य से उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत वह मत्स्यहरण जलयान पंजीकृत है;

(u) " **अधिसूचना"** से तात्पर्य शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना से है और "अधिसूचित करें" या "अधिसूचित" शब्दों का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा ;

(v) **" शासकीय राजपत्र "** से तात्पर्य संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शासकीय राजपत्र से है;

(w) " **प्रादेशिक जलक्षेत्र**" प्रादेशिक जलक्षेत्र का वही अर्थ होगा जो इसके लिए प्रादेशिक जलक्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक अंचल एवं अन्य समुद्री अंचल अधिनियम, 1976 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है;

(x) " **संघ राज्यक्षेत्र** " से तात्पर्य संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह से है।

अधिकारियों को प्राधिकृत करना

3. प्रशासक अधिसूचना द्वारा —

(a) प्रशासन के किसी भी अधिकारी को , जो एक राजपत्रित अधिकारी के रैंक से नीचे के रैंक का अधिकारी न हो; या

(b) केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी, जो एक राजपत्रित अधिकारी के रैंक से नीचे के रैंक का अधिकारी न हो; को उस सरकार की सहमति से, उस क्षेत्र,जैसा अधिसूचित किया जाएगा, में एक प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करेंगे ।

अध्याय-II

मत्स्यहरण विनियमन

विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर निश्चित मामलों को विनियमित, निषिद्ध या प्रतिबंधित करने की शक्तियां

4. (1) प्रशासक, उपधारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, निम्नलिखित को विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकता है-

a) मत्स्यहरण जलयानों के ऐसे श्रेणी या श्रेणियों द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यहरण, जैसा निर्धारित किया जाएगा; या

b) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यहरण के लिए उपयोग किए जा सकने वाले मत्स्यहरण जलयानों संख्या; या

c) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्रजातियों की मछलियों और ऐसी अवधि के दौरान मत्स्यहरण, जैसा अधिसूचना विनिर्दिष्ट किया जाएगा; या

d) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे मत्स्यहरण उपकरणों या इंजन पावर या फिश अग्रिगेटिंग उपकरणों का उपयोग;

e) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दिन या रात की ऐसी अवधि के दौरान मत्स्यहरण, जैसा निर्धारित किया जाएगा ।

f) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे आकार के मछलियों का हरण एवं मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियां;

g) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किशोर मछलियों का हरण एवं मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियाँ ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए **"किशोर मछलियों का हरण"** अभिव्यक्ति से तात्पर्य ऐसे युवा मछली या जीव के हरण से है जिसने यौन परिपक्वता प्राप्त न की हो और अब तक प्रजनन के लिए सक्षम न हो ;

h) **मत्स्यहरण जालों के मेश का आकार** सहित आकार**;**

i) **मत्स्यहरण के लिए डायनामाइट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ,** जहर या हानिकारक रसायन, या विनाशकारी सामग्रियाँ या मतस्यहरण का कोई विनाशकारी पद्धति क उपयोग; और

(2) **उपधारा (1) के तहत आदेश जारी करते समय प्रशासक निम्नलिखित बातों पर सम्यक ध्यान रखेगा, अर्थात्:-**

a) मत्स्यहरण में लगे अलग-अलग वर्गों के लोगों, विशेषकर पारंपरिक मत्स्यहरण नावों जैसे कि कैटामरन, देशी नावों, कैनो या डिंगी का उपयोग करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता;

b) मछलियों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक आधार पर मत्स्यहरण को विनियमित करने की आवश्यकता ;

c) समुद्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता;

d) मछली या शेलफिश का संरक्षण या मछलियों या शेलफिश को पालने के लिए द्वीपों के आस-पास के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को लीज़ पर देने की आवश्यकता;

e) मछली पालन एवं मत्स्यहरण के लिए प्रादेशिक जलक्षेत्र में मत्स्यहरण का अधिकार लीज़ पर देने की आवश्यकता; और

f) कोई अन्य मामला, जैसा निर्धारित किया जाएगा ।

धारा 4 के तहत जारी किसी आदेश का उल्लंघन कर मत्स्यहरण जलयानों के उपयोग पर प्रतिबंध

5. मत्स्यहरण जलयानों का कोई भी मालिक या मास्टर किसी भी प्रकार के मत्स्यहरण के लिए किसी ऐसे जलयान का उपयोग नहीं करेगा, या करने की अनुमति नहीं देगा, जो धारा 4 के तहत जारी किसी आदेश का उल्लंघन करता हो ;

परन्तु यह कि ऐसे किसी आदेश का अर्थ यह न निकाला जाए कि वह आदेश किसी मत्स्यहरण जलयान को किसी क्षेत्र, चाहे विनिर्दिष्ट क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र से होते हुए किनारे से या किनारे तक जाने से रोकता है,

परन्तु आगे यह भी कि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र से ऐसे मत्स्यहरण जलयानों के आवाजाही से इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पारंपरिक नावों जैसे कैटामरन, देसी नाव, कैनो या डिंगी का उपयोग करके मत्स्यहरण करने वाले किसी व्यक्ति के मछली पकड़ने के जाल या अन्य सामग्रियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए ।

अध्याय-III

6. स्पोर्ट्स फिशिंग जलयान सहित मत्स्यहरण जलयानों का पंजीकरण

1. मर्चन्ट शिपिंग अधिनियम के तहत पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान या स्पोर्ट फिशिंग जलयान के अलावा, किसी भी अन्य जलयान के मालिक द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यहरण के लिए उस जलयान का उपयोग तब तक नहीं करेगा या करवाएगा, जब तक कि वह जलयान इस विनियम के तहत एक मत्स्यहरण जलयान के रूप में पंजीकृत न हो।

2. मत्स्यहरण जलयान या स्पोर्ट फिशिंग जलयान के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन उस जलयान के मालिक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे फ़ॉर्म, विधि, शुल्क एवं अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा, जैसा कि इसके लिए निर्धारित किया गया हो।

3. पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान के सिवाय कोई भी अन्य जलयान धारा 7 के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं होंगे।

अध्याय -IV

7. मत्स्यहरण जलयान एवं मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियों का लाइसेंसिंग

7. (1) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यहरण एवं मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियों के लिए मत्स्यहरण जलयान के उपयोग के लिए उप –धारा (2) के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मत्स्यहरण जलयान के मालिक को प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।

(2). इस विनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति इस उप-धारा के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस के बिना किसी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यहरण या इससे संबंधित गतिविधियों को नहीं करेगा।

(3). इस धारा के तहत प्राधिकृत अधिकारी को मत्स्यहरण जलयान का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार होगा ।

(4) इस धारा में निहित कोई भी प्रावधान ऐसे मत्स्यहरण जलयान पर लागू नहीं होगा, जिसका उपयोग इस विनियम के लागू होने से ठीक पूर्व मत्स्यहरण के कार्य के लिए किया जा रहा था, ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि प्रशासक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति वैध लाइसेंस के बिना किसी ऑफशोर प्लेटफॉर्म की स्थापना नहीं करेगा और न ही उसका संचालन करेगा।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा तथा उपधाराओं (7), (8), (10), (13) और (14) के प्रयोजनों के लिए, **"ऑफशोर प्लेटफॉर्म"** से अभिप्राय ऐसे अस्थायी मंचों से है जो प्रादेशिक जलक्षेत्र , जिसमें आंतरिक जलक्षेत्र भी सम्मिलित हैं, के भीतर मछलियों के संग्रहण, प्रसंस्करण, अंतरण (ट्रांसशिपमेंट) अथवा मत्स्यहरण से संबंधित किसी अन्य गतिविधि, जिसमें मत्स्यहरण जलयानों के अस्थायी बर्थिंग भी शामिल है, के लिए स्थापित किए गए हैं।

परन्तु , इस धारा के अधीन किसी ऑफशोर प्लेटफॉर्म के लिए प्रदान की गई लाइसेंस केवल उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ही वैध होगी तथा उससे समुद्री क्षेत्र पर किसी प्रकार का स्थायी

अधिकार, स्वामित्व, हित अथवा अधिभोग (कब्जा) का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लाइसेंस की अवधि के समाप्त होने, लाइसेंस के निलंबित किए जाने अथवा निरस्त किए जाने पर, लाइसेंसधारी द्वारा ऑफशोर प्लेटफॉर्म को हटा देगा, जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्यथा अनुमति न दी गई हो।

(6) प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा के तहत किसी ऑफशोर प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्राप्त है ।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऑफशोर प्लेटफॉर्म की स्थापना करना या उसका संचालन करना चाहता है, तो वह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा।

(8) उप-धारा (1) अथवा उप-धारा)8) के तहत प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में, में ऐसे विवरणों तथा उसके साथ ऐसी शुल्क संलग्न होनी चाहिए, जैसा निर्धारित किया जाएगा।

(9) प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे तथा उप-धारा)12) अथवा उप-धारा)13), जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित विषयों का ध्यान रखते हुए, किसी मत्स्यहरण जलयान के स्वामी को उसके मत्स्यहरण जलयान का उपयोग मत्स्यहरण अथवा उससे संबंधित गतिविधियों को करने हेतु, या किसी ऐसे आवेदक को जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म की स्थापना या संचालन करना चाहता हो, जैसा भी मामला हो, को या तो लाइसेंस प्रदान करेगा या प्रदान करने से इंकार करेगा;

परन्तु, यदि प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के तहत लाइसेंस प्रदान करने से मना करता है, तो वह मना करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा तथा उन्हें ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से , ऐसी अवधि के भीतर, जैसा निर्धारित किया जाएगा, आवेदक को सूचित करेगा ।

(10) उप-धारा)10) के तहत किसी मत्स्यहरण जलयान को प्रदान की गई लाइसेंस में उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र का उल्लेख होगा, जिसके भीतर ऐसे मत्स्यहरण जलयान को मत्स्यहरण अथवा मत्स्यहरण से संबंधित गतिविधियाँ, जैसा भी मामला हो, करने की अनुमति होगी।

(11) उप-धारा)10) के तहत किसी मत्स्यहरण जलयान को मत्स्यहरण अथवा मत्स्यहरण से संबंधित गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय अथवा लाइसेंस प्रदान करने से मना करते समय, प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(a) ऐसे श्रेणी या श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयान के लिए समुद्री सुरक्षा, संचार प्रणालियाँ, ट्रांसपोंडर तथा बीमा;

(b) मत्स्यहरण जलयान की स्थिति सहित जलयान में संस्थापित संबद्ध सहायक उपकरण)एक्सेसरीज़ (तथा मत्स्यहरण उपकरण)फिशिंग गियर (;

(c) समुद्र में कानून एवं व्यवस्था का अनुपालनः

(d) जनहित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय;

(e) धारा 5 के तहत जारी किसी अधिसूचना के अनुपालन में मत्स्यहरण जलयान की स्थिति; तथा

(f) कोई अन्य विषय, जैसा निर्धारित किया जाएगा ।

(12) उप-धारा)10) के तहत, ऑफशोर प्लेटफॉर्म की स्थापना या संचालन, जैसा भी मामले हो, हेतु लाइसेंस प्रदान करते समय अथवा लाइसेंस प्रदान करने से इंकार करते समय, प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(a(ऑफशोर प्लेटफॉर्म की समुद्री सुरक्षा स्थितियाँ;

(b(स्थान की उपयुक्तता;

(c(प्लेटफॉर्म पर संचार प्रणालियाँ;

(d(समुद्र में कानून और व्यवस्था का अनुपालन;

(e(जनहित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय;

(f(पर्यावरण)संरक्षण (अधिनियम, 1986; वायु)प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (अधिनियम, 1981; के तहत आवश्यक सांविधिक अनापत्ति प्राप्त करना;

(g(जल)प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (अधिनियम, 1974, जैसा लागू हो, तथा

(h) कोई अन्य विषय, जैसा निर्धारित किया जाएगा ।

(13) इस धारा के तहत प्रदान की गई लाइसेंस ऐसे प्रपत्र, रीति , अवधि के लिए होगा तथा ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जैसा निर्धारित किया जाएगा ;

परन्तु यह कि**,** मत्स्यहरण एवं मत्स्यहरण से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त मत्स्यहरण जलयानों के विभिन्न श्रेणियों तथा विभिन्न श्रेणियों के ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और उनमें संस्थापित की

जाने वाली सुविधाओं के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में भिन्न-भिन्न शुल्क तथा प्रतिभूति)सिक्योरिटी (के रूप में भिन्न-भिन्न राशि निर्धारित किया सकता है।

(14) इस धारा के तहत प्रदान की गई लाइसेंस उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगी अथवा ऐसे विस्तारित अवधि, जो निर्धारित किए गए ऐसे समयांतरालों से अधिक न हो, के लिए वैध होगी।

(15) लाइसेंस की अवधि के विस्तार के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा, उसमें ऐसे विवरण सम्मिलित होंगे तथा उसके साथ ऐसी शुल्क संलग्न होना चाहिए, जैसा निर्धारित किया जाएगा ।

(16) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा इस धारा के तहत प्रदान की गई किसी लाइसेंस अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है:

परन्तु यह कि , इस धारा के तहत किसी लाइसेंस अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन या संशोधन करने से पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा तथा ऐसे परिवर्तन या संशोधन के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

गैर- लाइसेंसधारी मत्स्यहरण जलयानों द्वारा मत्स्यहरण पर निषेध

8. इस विनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे किसी मत्स्यहरण जलयान का उपयोग करते हुए मत्स्यहरण नहीं करेगा, जो धारा 6 के तहत लाइसेंसधारी न हो:

परन्तु यह कि इस धारा में निहित कोई भी बात ऐसे मत्स्यहरण जलयान पर लागू नहीं होगी, जिसका उपयोग इस विनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व उक्त क्षेत्र में मत्स्यहरण के लिए किया जा रहा था, ऐसी अवधि तक के लिए, जो प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

लाइसेंसों का निरस्तीकरण, निलंबन एवं संशोधन

9. (1) यदि प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है, चाहे इस संबंध में उनके समक्ष प्रस्तुत किसी संदर्भ पर या अन्यथा, कि —

(a(धारा 6 के तहत प्रदान की गई लाइसेंस को किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण द्वारा प्राप्त की गई है; या

(b(लाइसेंसधारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उन शर्तों का पालन करने में विफल रहा, जिनके अधीन लाइसेंस प्रदान की गई थी, या उसने इस विनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है ।

तब, इस विनियम के अधीन लाइसेंसधारी जिस किसी भी अन्य दंड के लिए दायी हो सकता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत अधिकारी लाइसेंसधारी को कारण बताने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लाइसेंस को निरस्त या निलंबित कर सकेगा अथवा लाइसेंस की उन शर्तों के सम्यक् पालन हेतु प्रस्तुत की गई प्रतिभूति)सिक्योरिटी(, यदि कोई हो, का पूर्णतः या आंशिक रूप से समपहरण कर सकेगा।

(2) इस धारा में निहित किसी भी बात के होते हुए भी तथा इस विनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारक पर लगाए जा सकने वाले किसी अन्य दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रशासक जनहित की रक्षा अथवा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, धारा 6 के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस को निरस्त कर सकता है।

10. मत्स्यहरण जलयानों के आवागमन के संबंध में सूचना प्रदान करना :

जहाँ कोई लाइसेंस प्राप्त मत्स्यहरण जलयान, उस क्षेत्र में मछली पकड़ने के उद्देश्य से एक बंदरगाह के क्षेत्र से दूसरे बंदरगाह में जाती है, वहाँ ऐसी मत्स्यहरण जलयान का स्वामी इस संबंध में निर्धारित रीति से उस प्राधिकृत अधिकारी को, जिसके द्वारा ऐसी मत्स्यहरण जलयान का पंजीकरण किया गया था, तथा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले बंदरगाह प्राधिकारी /प्रभारी को, जहाँ वह मत्स्हरण जलयान जाती है, सूचना देगा।

पंजीकृत मत्स्यहरण जलयान के स्वामी द्वारा विवरण प्रस्तुत करना

11.(1) प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त मत्स्हरण जलयान का स्वामी अथवा मास्टर मत्स्हरण कार्यों से संबंधित ऐसी जानकारी, जैसे कि पकड़ी गई मछलियों की मात्रा, मत्स्हरण प्रयास (फिशिंग एफ़र्ट), यात्रा का विवरण तथा अन्य ऐसे विवरणों को निर्धारित प्रपत्र में , रीति से एवं निर्धारित अंतरालों पर प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

परन्तु यह कि, विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयान, मत्स्यहरण सम्बन्धी गतिविधियों तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाएं निर्धारित की जा सकती है।

परन्तु यह भी कि प्रशासक, मत्स्हरण संबंधी कार्यों की प्रकृति, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों, संचार उपकरणों, जलयान निगरानी प्रणाली अथवा किसी अन्य डिजिटल प्लेटफार्म की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, किसी श्रेणी या श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों की यात्रा विवरण)वॉयेज रिपोर्ट (प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकता है या उनके लिए सरलीकृत विवरण अपेक्षाएं निर्धारित कर सकता है।

(2) यात्रा विवरण)वॉयेज रिपोर्ट (केवल ऐसी श्रेणी या श्रेणियों की मत्स्यहरण जलयान से तथा ऐसे अंतरालों पर अपेक्षित होगा, जैसा निर्धारित किया जाएगा ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना दिए, किसी भी मत्स्यहरण जलयान का निरीक्षण कर सकता है अथवा ऐसे अभिलेखों या सूचनाओं की मांग कर सकता है, जो इस विनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

लाइसेंस, पंजीकरण आदि प्रदान करने से मना करने से संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील

12. (1) कोई भी व्यक्ति, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी मत्स्यहरण जलयान या ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म को लाइसेंस प्रदान करने से मना करने, अथवा ऐसे लाइसेंस को रद्द करने, निलंबित करने, परिवर्तित करने या संशोधित करने, अथवा प्रस्तुत की गई किसी प्रतिभूति (सिक्योरिटी) को जब्त करने,जैसा भी मामला हो, से संबंधी आदेश से पीड़ित हो तो वह ऐसे आदेश की सूचना उसे दिए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निर्धारित प्रपत्र और रीति से, न्यायनिर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

परन्तु यह कि, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से वंचित रह गया था, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी ऐसी अपील स्वीकार कर सकता है।

मत्स्य अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

13. प्रत्येक मत्स्य अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा और वह —

(a(इस विनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को होने से रोकने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकेगा तथा अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार ऐसे अपराध को कारित होने से रोकेगा;

(b(किसी भी जलयान या परिसर में प्रवेश कर उसमें उपलब्ध मत्स्हरण उपकरणों)फिशिंग इम्प्लीमेंट्स (अथवा मछलियों का निरीक्षण कर सकेगा तथा मत्स्हरण लाइसेंस एवं जलयान का पंजीकरण एवं वैधता की जाँच कर सकेगा;

(c(मत्स्हरण लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले पक्षों के पास उपलब्ध मत्स्हरण उपकरणों एवं जलयानों का स्थालिक सत्यापन)फील्ड वेरिफिकेशन (कर सकेगा; तथा

(d(यदि उसे किसी व्यक्ति द्वारा इस विनियम के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने की योजना या आशय की जानकारी हो, तो वह इसकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को देगा।

मत्स्हरण जलयानों में प्रवेश करने और उनकी तलाशी लेने का अधिकार

14. यदि प्राधिकृत अधिकारी को, चाहे मत्स्य अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई मत्स्यहरण जलयान इस विनियम के किसी प्रावधान, या इसके अधीन बनाए गए किसी आदेश अथवा नियम, या लाइसेंस के किसी शर्त के उल्लंघन में उपयोग की जा रही है या की गई है, तो वह ऐसे जलयान में प्रवेश कर उसकी तलाशी ले सकता है तथा उस जलयान को परिबद्ध)इम्पाउंड (कर सकता है और उसमें पाई गई मछलियों तथा मत्स्हरण उपकरणों)फिशिंग गियर (को जब्त कर सकता है।

मत्स्यहरण जलयानों की अभिरक्षा तथा जब्त की गई मछलियों का निपटान

15. (1) प्राधिकृत अधिकारी, धारा 13 के अंतर्गत परिबद्ध की गई मत्स्यहरण जलयान को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से रखेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाएगा ।

(2) जब्त की गई मछलियों के भंडारण हेतु उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में, यदि प्राधिकृत अधिकारी की यह राय हो कि ऐसे मछलियों का निपटान किया जाना आवश्यक है, तो वह उन मछलियों का निपटान कर सकता है तथा उस बिक्री से प्राप्त आय/रकम को निर्धारित रीति से **न्यायनिर्णयन अधिकारी** के कार्यालय में जमा करेगा।

अध्याय – V

न्यायनिर्णयन

16. (1) जहाँ किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मत्स्यहरण जलयान का उपयोग इस विनियम के किसी प्रावधान, अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश, अथवा लाइसेंस के किसी शर्त के उल्लंघन में की जा रही है या की गई है, वहाँ वह इस संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-धारा)1) में उल्लिखित **न्यायनिर्णयन अधिकारी**, उस विभाग अथवा केंद्रीय सरकार का कोई ऐसा अधिकारी होगा, जो उप-निदेशक मत्स्य)Deputy Director of Fisheries) के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और जिसे प्रशासक द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इस विनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

(3) उप-धारा)2) के तहत नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी का पद, प्राधिकृत अधिकारी के पद से कम-से-कम एक स्तर ऊपर के रैंक का होना चाहिए ।

(4) न्यायनिर्णयन अधिकारी, रिपोर्ट में उल्लिखित मामले पर उससे संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्धारित रीति से जाँच करेगा ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी मत्स्यहरण उपकरण)फिशिंग गियर (या फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेज़ को जब्त कर सकता है, जिनका उपयोग धारा 4 के अंतर्गत निषिद्ध किया गया है, यदि उनको किसी मत्स्यहरण जलयान पर ऐसे मत्स्यहरण उपकरण या फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेज़ दिखता है, अथवा उनका उपयोग मत्स्यहरण या उससे संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा रहा हो, और वह ऐसी जब्ती की तिथि से सात दिनों के भीतर न्यायनिर्णायन अधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) प्राधिकृत अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी उस रिपोर्ट में उल्लिखित मामले के संबंध में निर्धारित रीति से जाँच करेगा और यह संतुष्ट होने पर कि कोई उल्लंघन किया गया है, वह मत्स्यहरण जलयान के मालिक या मास्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें उनसे यह बताने की अपेक्षा की जाएगी कि इस विनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध जुर्माना/दंड क्यों न लगाया जाए या अन्य कार्रवाई क्यों न की जाए।

परन्तु यह कि, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे नोटिस के साथ-साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपधारा)1) के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति तथा अन्य सभी संबंधित सामग्री/दस्तावेज को भी मत्स्यहरण जलयान के मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, को उपलब्ध कराएगा।

परन्तु यह और कि, यदि धारा 13 के तहत अभिग्रहित/जब्त किसी मत्स्यहरण जलयान या मत्स्यहरण उपकरण के लिए, अभिग्रहण की तिथि से चौदह दिनों के भीतर इस उप-धारा के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो उसे मुक्त/छोड़ दिया जाएगा।

(7) मत्स्यहरण जलयान के मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (4) के तहत नोटिस जारी होने से पहले या बाद में कभी भी, धारा 13 के तहत अभिग्रहित जलयान को छुड़ाने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है और न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसी अभिग्रहित जलयान को तब छोड़ देगा जब मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, ऐसे निर्धारित शर्तों के अनुसार बॉन्ड या किसी अन्य रूप में प्रतिभूति जमा राशि जमा कर दे।

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी जमा किया गया बॉन्ड स्वत: निरस्त हो जाएगा, यदि ऐसे मत्स्यहरण जलयान को अभिग्रहण करने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर उप-धारा (4) के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है:

परन्तु यह और कि, यदि अभिग्रहित मत्स्यहरण जलयान के मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-धारा(4) के तहत नोटिस प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर उसे छुड़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी उस अभिग्रहित जलयान को 'परित्यक्त' घोषित कर देगा और ऐसी घोषणा के पश्चात वह जलयान बिना किसी देनदारी या बोझ के प्रशासन की हो जाएगी और प्रशासन निर्धारित तरीके से उस जलयान का निपटान कर सकेगा।

(8) मत्स्यहरण जलयान के मालिक या मास्टर, जिसे उप-धारा (4) के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा।

(9) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उप-धारा (4) के तहत नोटिस पाने वाले मत्स्यहरण जलयान के मालिक या मास्टर का उत्तर, यदि कुछ हो, पर विचार करने और उस मालिक या मास्टर को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात या तो धारा 16 के अनुसार आदेश पारित करेगा या कार्यवाही को खारिज कर देगा, जैसा भी मामला हो:

परन्तु यह कि उप-धारा (7) के तहत दिए गए आवेदन पर अभिग्रहित एवं छुड़ाई गई किसी भी मत्स्यहरण जलयान को, निर्धारित तरीके से, धारा 14 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि, धारा 13 के तहत अभिग्रहित किसी भी मत्स्यहरण उपकरण के संबंध में धारा 14 में प्रावधानित रीति से कार्रवाई की जाएगी:

परन्तु आगे यह भी कि धारा 13 के तहत अभिग्रहित किसी भी मत्स्यहरण जलयान, जिसके लिए जलयान के मालिक या मास्टर ने बॉन्ड या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिभूति जमा राशि जमा की है, तो कार्यवाही समाप्त होने पर यह राशि स्वत: वापस हो जाएगी:

परन्तु आगे भी कि धारा 13 के तहत अभिग्रहित किसी भी मत्स्यहरण उपकरण को कार्यवाही के खारिज होने पर वापस कर दिया जाएगा।

जुर्माना

17.(1) न्यायनिर्णयन अधिकारी, धारा 15 की उप-धारा (4) के तहत जांच के पश्चात यह निर्णय करेगा कि क्या किसी व्यक्ति ने इस विनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए किसी मत्स्यहरण जलयान का उपयोग किया है, या उपयोग करने दिया है या करने की अनुमति दिया है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायनिर्णयन अधिकारी दोषी पाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधोलिखित से अधिकतम नहीं होगा:-

a. यदि मत्स्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर से कम है, तो उसके मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, पर **दस हज़ार रुपये** तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, जलयान और उसमें प्राप्त मछलियाँ, मछली पकड़ने का उपकरण, सामान, भंडार सामग्री या माल को छह महीने तक या जब तक मालिक या मास्टर द्वारा न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जाता, जो भी पहले हो, तब तक के लिए अभिग्रहण/जब्त किया जा सकता है।

b. यदि मत्स्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर या उससे अधिक है, तो उसके मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, पर **पच्चीस हज़ार रुपये** तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, जलयान और उसमें प्राप्त मछलियाँ, मछली पकड़ने का उपकरण, सामान, भंडार सामग्री या माल को छह महीने तक या जब तक मालिक या मास्टर द्वारा न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं

किया जाता, जो भी पहले हो, तब तक के लिए अभिग्रहण किया जा सकता है।

परन्तु यह कि मत्स्यहरण जलयान के मालिक या मास्टर द्वारा छह माह समाप्त होने से पहले वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जलयान को निर्धारित रीति से छोड़/मुक्त कर देगा:

परन्तु यह और भी कि छह माह बीत जाने के बाद भी यदि न्ययायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी अभिग्रहित मत्स्यहरण जलयान को 'परित्यक्त' घोषित कर देगा और ऐसी घोषणा के पश्चात जलयान प्रशासन के अधीन हो जाएगी और उस पर कोई भी देनदारी या बोझ नहीं होगा और उस मत्स्यहरण जलयान का निपटान प्रशासन द्वारा इसके लिए निर्धारित किए गए प्रक्रिया अनुरूप करेगा।

(2) यदि अधिनिर्णयन अधिकारी, धारा 12 के तहत दी गई प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि किसी मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, ने धारा 6 की उप-धारा (1)को छोड़कर इस विनियम के किसी प्रावधानों, इसके तहत जारी या बनाए गए किसी आदेश, अधिसूचना या नियमों या धारा 6 के तहत दिए गए लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन में किसी मत्स्यहरण जलयान का उपयोग किया है या उपयोग करने दिया है या करने की अनुमति दिया है तो वह एक आदेश द्वारा निम्नलिखित जुर्माना लगाएगा:-

(a) पहली बार उल्लंघन करने पर, ऐसे मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, पर **पाँच हजार रूपये** तक का जुर्माना लगाया जाएगा यदि मत्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर से कम है, और यदि मत्स्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर या उससे अधिक है तो उस पर **दस हजार रूपये** तक का जुर्माना लगाया जाएगा ।

(b) दूसरी बार उल्लंघन करने पर, ऐसे मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, पर **दस हजार रूपये** तक का जुर्माना लगाया जाएगा यदि मत्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर से कम है, और यदि मत्स्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर या उससे अधिक है तो उस पर **बीस हजार रूपये** तक का जुर्माना लगाया जाएगा ।

(c) तीसरी बार उल्लंघन करने पर, ऐसे मालिक या मास्टर, जैसा भी मामला हो, पर **बीस हजार रूपये** तक का जुर्माना लगाया जाएगा यदि मत्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर से कम है, और यदि मत्स्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर या उससे अधिक है तो उस पर **चालीस हजार रूपये** तक का जुर्माना लगाया जाएगा ।

(d) चौथी बार उल्लंघन करने पर **मत्स्यहरण जलयान का लाइसेंस एक माह के**

लिए निलंबित किया जाएगा और चालीस हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा यदि मत्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर से कम है, और यदि मत्स्यहरण जलयान की लंबाई 12 मीटर या उससे अधिक है तो उस पर **अस्सी हजार रूपये** तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(e) इसके बाद के उल्लंघनों के लिए, **मत्स्यहरण जलयान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा** और लाइसेंस धारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमा राशि को ज़ब्त कर लिया जाएगा:

परन्तु यह कि लाइसेंस धारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किसी लाइसेंस को निलंबित या निरस्त नहीं किया जाएगा।

(3) पूर्ववर्ती उप-धारा के तहत लगाए जा सकने वाले किसी भी जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि धारा 15 के तहत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास यह मानने का ठोस कारण है कि धारा 15 की उप-धारा(5) के तहत ज़ब्त किए गए मत्स्यहरण उपकरण का उपयोग इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके किया गया था, तो वह प्राधिकृत अधिकारी को निर्देश देगा कि वह निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए, दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ऐसे उपकरण को इस तरह नष्ट कर दे कि वह दोबारा उपयोग के लायक न रहे।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन हेतु, "लंबाई मीटर में" अभिव्यक्ति से तात्पर्य मत्स्यहरण जलयान की कुल लंबाई से है।

18(1) प्रशासक, अधिसूचना के माध्यम से, न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए एक अपील प्राधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) उप-धारा(1) में उल्लिखित अपील प्राधिकारी, प्रशासन के निदेशक रैंक से नीचे के रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए ।

(3) न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्रति उसे संप्रेषित/प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर ऐसी अपील सुनने का अधिकार रखने वाली अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी, यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपील करने में असमर्थ रहने का कोई पर्याप्त कारण था, तो वह आदेश संप्रेषित होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, लेकिन उस तिथि से साठ दिन समाप्त होने के

बाद नहीं।

(4) इस धारा के तहत अपील प्राधिकारी किसी अपील को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि अपीलकर्ता ने अपील करते समय, उस आदेश के तहत लगाए गए जुर्माने, यदि कुछ हो, की राशि का पचास प्रतिशत के बराबर की राशि जमा न कर दिया हो, जिसके लिए अपील दायर की गई है।

परन्तु यह कि इस बारे में अपीलकर्ता के आवेदन पर, यदि अपील प्राधिकारी की राय में इस उप-धारा के तहत जमा की जाने वाली राशि से अपीलकर्ता को बहुत अधिक परेशानी होगी, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे शर्तों, जो उसे उचित लगे, पर ऐसी जमा राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जमा करने की बाध्यता से मुक्त कर सकता है।

(5) उप-धारा(3) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसी जांच करनेके पश्चात जो उन्हें उचित लगे और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उस आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसे निरस्त कर सकती है, जिसके लिए अपील की गई है और अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों को इसे मानना होगा।

(6) यदि उप-धारा(4) के तहत जुर्माने के तौर पर जमा की गई राशि, अपील प्राधिकारी द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित जुर्माने से अधिक है, तो उस अतिरिक्त राशि को, या और यदि अपील प्राधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने वाले आदेश को निरस्त कर देता है, तो जुर्माने के तौर पर जमा की गई सपूर्ण राशि को अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

19. अपील अधिकारी, किसी न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश के अभिलेखों /रिकॉर्ड्स मंगाकर उनकी जांच कर सकता है, जिसके लिए धारा 15 के तहत कोई अपील नहीं की गई है। ऐसा वह उस आदेश की वैधता या औचित्य, या प्रक्रिया के पालन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कर सकता है, और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित लगे:

परन्तु यह कि प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने /सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

20. जांच करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी और अपील प्राधिकारी के पास 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' के तहत निम्नलिखित प्रयोजन हेतु सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी-

a. साक्षियों को बुलाना/समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना;

b. दस्तावेजों की छानबीन, निरीक्षण और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहना;

c. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना/प्रस्तुत करने को कहना ;

d. शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य प्राप्त करना ; और

e. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

f. कोई अन्य मामले, जिसे निर्धारित किया जाएगा ।

कंपनियों द्वारा उल्लंघन

21.(1) यदि कोई व्यक्ति इस विनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इसके तहत दिए गए लाइसेंस के किसी शर्त का उल्लंघन करता है और वह व्यक्ति एक कंपनी है, तो उल्लंघन के समय कंपनी के कामकाज के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी तथा उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, और साथ ही साथ उस कंपनी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसी तरह से दंडित किया जाएगा।

परन्तु यह कि इस उप-धारा में निहित किसी भी बात के कारण किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाया जाएगा, यदि वह यह सिद्ध कर दें कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि इस विनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इसके तहत दिए गए लाइसेंस के किसी शर्त का उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उनकी किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसी तरह से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

a. "कंपनी" से तात्पर्य कोई भी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या

व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल होंगे; तथा

b. "निदेशक" किसी फर्म के संबंध में निदेशक से तात्पर्य फर्म का पार्टनर से है।

अध्याय VI

अनुवीक्षण, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली *(LMFR 2026 से अंगीकृत)*

22. (1)प्रशासक द्वारा भारतीय तटरक्षक, मरीन पुलिस तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जैसा वह उचित समझे, से परामर्श करके इस विनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु अनुवीक्षण, नियंत्रण एवं निगरानी उपायों को अधिसूचित करेगा।

परन्तु यह कि विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए के भिन्न- भिन्न स्तर के अनुवीक्षण, नियंत्रण एवं निगरानी उपाय निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) प्रत्येक मत्स्यहरण जलयान का मालिक अथवा मास्टर तथा प्रत्येक मछुआरा एवं मत्स्यहरण जलयान पर कार्यरत प्रत्येक चालक दल का सदस्य अपनी पहचान का ऐसा प्रमाण साथ रखेगा जिसमें मत्स्यहरण लाइसेंस तथा आधार संख्या अथवा प्रशासक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वैकल्पिक एवं व्यवहार्य पहचान-साधन सम्मिलित होंगे ।

स्पष्टीकरण:— इस उप-धारा के लिए "आधार संख्या" से अभिप्राय उस बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से है, जो भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं की लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है।

(3) इस विनियमन के तहत लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक मत्स्यहरण जलयान का मालिक अथवा मास्टर, जैसा भी मामला हो, ऐसे जलयान पर संचार एवं स्थिति-निर्धारण प्रणालियाँ अथवा उपकरण स्थापित एवं संधारित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक यात्रा से पूर्व और समुद्र में रहते समय निरंतर वे प्रणालियाँ एवं उपकरण कार्यशील स्थिति में रहें।

परन्तु यह कि किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों को ऐसे प्रणालियों अथवा उपकरणों को जलयान पर रखने और संधारित करने से छूट दिया जा सकता है, जैसा कि किया जाएगा ।

अध्याय VII

विविध

छूट

23. (1) इस विनियम में निहित कोई भी प्रावधान निम्नलिखित के स्वामित्व वाले सर्वेक्षण जलयानों पर लागू नहीं होंगे —

(a) केन्द्रीय सरकार,

(b) राज्य सरकार,

(c) सार्वजनिक उपक्रम।

स्पष्टीकरण:— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "सार्वजनिक उपक्रम" से अभिप्राय किसी ऐसी कंपनी अथवा निगम से है जो केन्द्रीय सरकार, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सम्मिलित है, अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो।

(2) यदि प्रशासक को यह लगता है कि, इस विनियमन के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में मत्स्यहरण के लिए प्रयुक्त किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों पर इस विनियम के सभी अथवा किसी भी प्रावधान को लागू करना जनहित में नहीं होगा, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में मत्स्यहरण के लिए प्रयुक्त किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों को,जैसा उनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, पर ऐसे शर्तें अधिरोपित करते हुए, जैसा वह उपयुक्त समझे, इस विनियमन के सभी अथवा किसी भी प्रावधान के प्रवर्तन से छूट दे सकता है ।

परन्तु यह कि इस उप-धारा के अंतर्गत जारी कोई भी अधिसूचना एक समय में छह माह से अधिक की अवधि तक प्रभावी नहीं रहेगी।

सदभाव में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

24. (1) इस विनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में प्रशासक या किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) इस विनियम या इसके तहत बनाए गए किसी आदेश अथवा नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के कारण हुई अथवा होने की संभावना वाली किसी क्षति के संबंध में प्रशासक या किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) इस विनियम या इसके तहत जारी किए गए अथवा बनाए गए किसी आदेश, अधिसूचना या नियम के अधीन देय सभी राशियाँ, जुर्माना तथा अन्य धनराशियों को प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति, जिससे वे देय हैं, की किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली जा सकती हैं।

संधारणीय मत्स्यहरण एवं मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियां सुनिश्चित करने हेतु उपाय

25. (1) प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के भीतर संधारणीय मत्स्यहरण एवं मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का प्रावधान कर सकता है।

(2) उपधारा)1) के तहत प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रशासक, ऐसी अधिसूचना द्वारा, ऐसे आयोजना उपकरणों, तंत्रों, समितियों, सलाहकार निकायों अथवा अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं, जैसा निर्धारित किया जाएगा, की स्थापना कर सकेगा अथवा उन्हें नामित कर सकेगा, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए —

(क) मत्स्यहरण एवं मत्स्यहरण संबंधी गतिविधियों का विनियमन, अनुवीक्षण अथवा प्रबंधन करना।

(ख) समुद्री संसाधनों, आवासों एवं पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण एवं सुरक्षा करना।

(ग) वैज्ञानिक, मौसमी, प्रजाति-विशिष्ट अथवा क्षेत्र-आधारित संधारणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना

(घ) इस विनियमन अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्मित दिशा-निर्देशों, आचार संहिताओं, स्कीमों अथवा प्रबंधन आयोजनाओं का क्रियान्वयन, प्रवर्तन अथवा संचालन करना।

(3) उपधारा)2) के तहत स्थापित अथवा नामित उपकरणों, तंत्रों या निकायों की संरचना, शक्तियाँ, कार्य, कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली और उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मानदंड, मापदंड अथवा मानक, वही होंगे जो निर्धारित किए जाएंगे ।

(4) इस धारा के तहत अधिसूचित सभी उपाय, समुद्री संपदाओं के संधारणीय उपयोग, वैज्ञानिक प्रबंधन एवं संरक्षण तथा संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय सुरक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे।

(5) प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, जलीय कृषि)मैरिकल्चर (सहित मत्स्य कृषि के संवर्धन के लिए प्रादेशिक जलसीमा के भीतर स्थित भूमि, लैगून तथा समुद्री क्षेत्रों को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में एक नीति जारी करेगा ।

नियम बनाने की शक्ति

26. (1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस विनियमन के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकता है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से सभी या किसी भी विषय के लिए ऐसे नियम उपबंधित कर सकते हैं, अर्थात्—

(a) धारा 4 की उपधारा)1) के खंड)क(, (घ (एवं)ङ (के अधीन विषयों तथा उसी धारा की उपधारा)2) के खंड)च (के अधीन प्रशासक द्वारा विचार किए जाने वाले विषयों को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या निषिद्ध करने के लिए।

(b) धारा 6 की उपधारा)9) के अधीन, लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उपधारा)1) के तहत आवेदन के प्रपत्र, उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विवरण तथा उसके साथ संलग्न की जाने वाली शुल्क ।

(c) धारा 6 की उप-धारा (10) के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्रदान करने से इंकार किए जाने की सूचना देने का प्रारूप, रीति तथा समय सीमा ।

(d) धारा 6 की उप-धारा (4) के खंड (d) के तहत लाइसेंस प्रदान करने अथवा न प्रदान करने में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विचारणीय विषय।

(e) धारा 6 की उप-धारा (14) के प्रावधानों के तहत विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों एवं ऑफशोर प्लेटफार्मों के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क तथा भिन्न -भिन्न प्रतिभूति राशि।

(f) इस विनियमन की धारा 6 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत किसी जलयान को मत्स्यहरण जलयान अथवा स्पोर्ट फिशिंग जलयान के रूप में पंजीकृत करने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप, पंजीकरण की विधि, शुल्क तथा अन्य आवश्यकताएँ ।

(g) धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत किसी लाइसेंस में परिवर्तन अथवा संशोधन करने की प्रक्रिया।

(h) धारा 9 के तहत किसी मत्स्यहरण जलयान के एक बंदरगाह क्षेत्र से दूसरे बंदरगाह क्षेत्र में आवाजाही से संबंधित सूचना देने की विधि।

(i) धारा 9 के तहत लाइसेंसधारी मत्स्यहरण जलयान के स्वामी द्वारा विवरण प्रस्तुत करने की समय अवधि एवं रीति ।

(j) धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत न्यायनिर्णायन अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधि/रीति ।

(k) धारा 6 की उप-धारा (15) के तहत लाइसेंस की अवधि के विस्तार हेतु समय-अंतराल।

(l) धारा 6 की उप-धारा (16) के तहत लाइसेंस अवधि के विस्तार हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप, उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विवरण तथा शुल्क की राशि।

(m) धारा 9 के तहत मत्स्यहरण जलयान के स्वामी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तथा बंदरगाह प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रारूप एवं उसका प्रस्तुतिकरण का विधि/रीति ।

(n) धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत लाइसेंसधारी मत्स्यहरण जलयान के स्वामी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली यात्रा-रिपोर्ट का प्रारूप, प्रस्तुतिकरण की विधि तथा प्रस्तुत करने के समय-अंतराल।

(o) धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप तथा प्रस्तुतिकरण की विधि/रीति ।

(p) धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नायेनिर्णयन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि।

(q) धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत इस विनियमन के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार की जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप तथा प्रस्तुतिकरण की विधि/रीति ।

(r) धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत जब्त किए गए मत्स्यहरण जलयान को रखने का स्थान तथा उसकी रख-रखाव की विधि, और उसी धारा की उपधारा (2) के तहत जब्त की गई मछलियों के निपटान से प्राप्त राशि को न्यायनिर्णयन के पास जमा करने की विधि/रीति ।

(s) धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा की जाने वाली जाँच की प्रक्रिया।

(t) धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (f) के तहत विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय।

(u) धारा 6 की उप-धारा (14) के तहत लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप, प्रस्तुतिकरण की विधि, समय-सीमा तथा शर्तें।

(v) धारा 6 की उप-धारा (12) के खंड (f) में उल्लिखित कोई अन्य विषय।

(w) धारा 6 की उप-धारा (13) के खंड (g) में उल्लिखित कोई अन्य विषय।

(x) धारा 15 की उप-धारा (4) एवं (6) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जाँच करने की विधि।

(y) धारा 15 की उप-धारा (7) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जब्त किए गए मत्स्यहरण जलयान को मुक्त करने की शर्तें।

(z) धारा 15 की उप-धारा (7) के द्वितीय परंतुक प्रावधान के तहत प्रशासन द्वारा मत्स्यहरण जलयान के निपटान की विधि।

(aa) धारा 15 की उप-धारा (9) के परंतुक प्रावधान के तहत धारा 14 के उल्लंघन की स्थिति में न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा की जाने वाली जब्ती की विधि।

(ab) धारा 21 की उप-धारा (1) के परंतुक प्रावधान के तहत विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यहरण जलयानों तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, अनुवीक्षण, नियंत्रण एवं निगरानी उपायों के विभिन्न स्तर।

(ac) धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जब्त किए गए मत्स्यहरण उपकरणों को नष्ट करने की प्रक्रिया।

(ad) धारा 19 के खंड (f) के तहत विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय।

(ae) धारा 21 की उप-धारा (3) के परंतुक प्रावधान के तहत मत्स्यहरण जलयानों के किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों पर संचार एवं स्थिति निर्धारण प्रणाली अथवा उपकरण रखने और उनका अनुरक्षण से छूट प्रदान करने की विधि।

(af) धारा 6 की उप-धारा (13) के खंड (g) में उल्लिखित कोई अन्य विषय।

(ag) धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (b) के प्रथम परंतुक प्रावधान के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा मत्स्यहरण जलयान को मुक्त करने की विधि।

(ah) धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (b) के द्वितीय परंतुक प्रावधान के तहत प्रशासन द्वारा मत्स्यहरण जलयान के निपटान की विधि।

(ai) धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत मछलियों के निपटान तथा उससे प्राप्त आय/राशि को जमा करने की विधि।

(aj) इस विनियमन के तहत ऐसे अन्य विषय जिनके लिए नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना आवश्यक है अथवा किया जा सकता है।

(3) इस विनियमन के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब संसद का सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक ही सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूर्ण हो सकेगी। यदि उक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् आने वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हो जाएँ या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि, ऐसा कोई संशोधन या निरसन उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

27. (1) यदि इस विनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस विनियम के प्रावधानों से असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकेगा, जो उन्हें उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

परन्तु यह कि, इस विनियम के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं जारी किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत जारी किए गए प्रत्येक आदेश को उसके जारी किए जाने के ठीक पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन एवं व्यावृत्तियां

28. (1) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मत्स्य विनियम, 2003 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त विनियम के निरसन से निम्नलिखित प्रभावित नहीं होंगे—

(a) वह कोई भी प्रावधान जो निरसन के प्रभावी होने के समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, पुनः प्रवृत्त नहीं होगा।

(b) उक्त विनियम के पूर्ववर्ती प्रचालनों अथवा उसके अधीन किए गए या भुगते गए किसी भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(c) उक्त विनियमन के तहत अर्जित, संचित या लिया गया कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व अप्रभावित रहेगा; अथवा

(d) उक्त विनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में अधिरोपित कोई भी जुर्माना , जब्ती या दण्डादेश अप्रभावित रहेगा; अथवा

(e) उपर्युक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, उत्तरदायित्व, दंड, जब्ती या दण्डादेश के संबंध में की गई कोई जाँच, विधिक कार्यवाही या उपाय अप्रभावित रहेगा; तथा ऐसी जाँच, विधिक कार्यवाही या उपाय प्रारंभ, जारी अथवा प्रवर्तित किए जा सकते हैं और ऐसा दंड, जब्ती या दण्डादेश आरोपित किया जा सकता है,कि मानो उक्त विनियम को निरस्त न किया गया हो।

(f) किसी अधिसूचना, आदेश, नियुक्ति, प्रमाणपत्र, सूचना, रसीद, प्रस्तुत किया गया आवेदन अथवा प्रदत्त लाइसेंस, जो इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार असंगत न हो, अप्रभावित रहेगा, और इन सभी को इस विनियमन के अनुरूप प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा लिया गया माना जाएगा।

(3) उप-धारा (2) में उल्लिखित विशिष्ट विषयों का उल्लेख, निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग को प्रभावित करने अथवा हानि पहुँचाने वाला नहीं माना जाएगा।